न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 127 / 2023

वादी	प्रतिवादीगण
बनाम	
1. घटुडीदेवी पत्नी सोहनलाल जाति बावरी निवासी– चौकिदारों की ढाणी, सोजतसिटी, तहसील– सोजत जिला– पाली।	01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि– धारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–
1. श्री प्रेमसिंह टांक अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित।

दिनांक 11/10/2023

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय वादीया ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया व अन्य संयुक्त खातेदार की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम हल्का सोजत प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक सोजत में खसरा नंबर 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3167, 3168, 3169 कुल खसरा 18 कुल रकबा 38.0600 हैक्टर स्थित है। जिसमें वादीया का 01/12 हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का आया हुआ है, जिसमें वाादिया का नाम गुटकी पत्नी सोहनलाल दर्ज है। वादस्थ कृषि भूमि में वाादिया का नाम घरेलू गुटकी पत्नी सोहनलाल दर्ज कर दिया गया, जबकि वादीया का वास्तविक नाम घटुड़ीदेवी पत्नी सोहनलाल है। वादीया के परिवार कार्ड, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड इत्यादि दस्तावेजात में नाम घटुड़ीदेवी पत्नी सोहनलाल है। घटुड़ीदेवी व गुटकी नाम से ही वादिया को अपने घर परिवार व समाज में लाड प्यार से पुकारते है। वादिया का वास्तविक नाम घटुड़ीदेवी पत्नी सोहनलाल है तथा वादिया को राजस्व रेकर्ड की कोई जानकारी नहीं थी। वादीया के परिवार में गुटकी के अलवा अन्य कोई महिला नही है। हाल ही में वादीया द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 19.08.2023 को प्राप्त करने पर वादिया को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मु वादिया का घरेलू नाम गुटकी दर्ज है, उससे पूर्व वादीया को उक्त नाम बाबत किसी प्रक़ार की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम गुटकी के स्थान पर घटुडीदेवी पत्नी सोहनलाल दुरूस्त किया जाकर खातेदारी घोषणा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। बिनायदावा वादीया द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले लेने एवं वादीया को राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.08.2023 को जमाबंदी प्राप्त करने से होने से बिनायदावा उत्पन्न हुआ जो वाद अंदर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीया ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीया व अन्य संयुक्त खातेदार की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम हल्का सोजत प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक सोजत में खसरा नंबर 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3167, 3168, 3169 कुल खसरा 18 कुल रकबा 38.0600 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम गुटकी पत्नी सोहनलाल के स्थान पर घटुड़ीदेवी पतनी सोहनलाल करने हेतु रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर वादीया का नाम गुटकी पत्नी सोहनलाल के स्थान पर घटुडीदेवी पत्नी सोहनलाल के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि पैरा संख्या एक में वर्णित भूमि सरहद मौज सोजत चाक प्रथम में स्थित है। पैरा संख्या दो

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

व तीन वादी स्वयं साक्ष्य सबूत पेश कर सिद्ध करे। पैरा संख्या चार लगाय नौ कानूनी होना बताया है।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2078 यक 2081, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड पेश किए। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बहस अधिवक्ता वादीया तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादीया ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम हल्का सोजत चक प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक सोजत में खसरा नंबर 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3167, 3168, 3169 कुल खसरा 18 कुल रकबा 38.0600 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम गुटकी पत्नी सोहनलाल के स्थान पर घटुड़ीदेवी पत्नी सोहनलाल करने हेतु रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर वादीया का नाम गुटकी पत्नी सोहनलाल के स्थान पर घटुड़ीदेवी पत्नी सोहनलाल के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने की ईशतदुआ की है। तहसीलदार सोजत ने भी स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीया द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यथा पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड में वादीया का नाम घटूडी पत्नी सोहनलाल अंकित है। पार्षद श्री राजेन्द्र परिहार द्वारा भी वादिया का नाम घटूडी देवी होना अंकित किया है। जिससे वादिया का सही एवं वास्तविक नाम घटूडीदेवी पत्नी सोहनलाल होने की पुष्टि होने से सरहद मौजा सोजत चक प्रथम हल्का सोजत प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक सोजत में खसरा नंबर 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3167, 3168, 3169 कुल खसरा 18 कुल रकबा 38.0600 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम गुटकी पत्नी सोहनलाल के स्थान पर घटुड़ीदेवी पत्नी सोहनलाल के नाम से खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम हल्का सोजत प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक सोजत में खसरा नंबर 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3167, 3168, 3169 कुल खसरा 18 कुल रकबा 38.0600 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम गुटकी पत्नी सोहनलाल के स्थान पर घटुड़ीदेवी पत्नी सोहनलाल के नाम से खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेश दिए जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 11/10/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली